अतिरिक्त प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार स्तम्भ III की अपेक्षाओं के तहत दिनांक 27-04-2007 की नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाते हैं।

जोखिम प्रबंधन

विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में बैंक कई प्रकार के जोखिम लेते हैं। जोखिम लेना बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग है। सामान्य कारोबार में बैंक के लिए कई जोखिम हैं जैसे उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम। ऐसे जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए बैंक (इण्डियन ओवरसीज़ बैंक) ने कई जोखिम प्रबंधन उपाय एवं प्रणालियां तैयार की हैं और इन्हें काम में लाया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाए रखा है जिसमें नीतियां, साधन, तकनीक, प्रबोधन प्रक्रियाएं और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) शामिल हैं।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (बैंक) जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उपयुक्त ट्रेड ऑफ प्राप्त करने के जरिए शेयरधारकों के मूल्यों को अधिकतम करने और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों में जोखिम की उचित पहचान, उसे मापना, प्रबोधन / नियंत्रण और इसे घटाना करना शामिल है ताकि बैंक की समग्र जोखिम दर्शन को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति बैंक के जोखिमों की स्पष्ट समझ और जोखिम की वहन क्षमता के स्तर पर आधारित है। जोखिम वहन क्षमता के मानदण्ड सामान्यत: जोखिम सीमा के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। बैंक की जोखिम वहन क्षमता जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के उपायों के जरिए प्रदर्शित होती हैं।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना बैंक में स्थापित कर ली है। निदेशक मंडल की एक उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)गठित की गई है जो बैंक में उधार जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने उधार जोखिम के लिए ऋण नीति समिति (सीपीसी), बाजार जोखिम के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और परिचालन जोखिम के लिए परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) नाम से जोखिम प्रबंधन समितियाँ गठित की हैं।

बैंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ और पद्धतियों के कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। महा प्रबंधक इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी मुख्य जोखिम अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त ट्रेशरी (देशी) और ट्रेशरी (विदेशी) और उधार समर्थन सेवा विभाग भी जोखिम

ADDITIONAL DISCLOSURES

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Mumbai, under New Capital Adequacy Framework (Basel II) dated 27.04.2007 under Pillar III requirement, the following disclosures are made as per the specified Formats:

RISK MANAGEMENT

Banks assume various kinds of risks in the process of providing different kinds of services. As such, risk taking is an integral part of the banking business. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. With a view to efficiently manage such risks, the bank has put in place various risk management measures and practices. In line with the guidelines of The Reserve Bank of India issued from time to time, the bank continues to strengthen its various risk management systems that includes policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

Indian Overseas Bank (the bank) aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate trade off between risks and returns. The Bank's Risk Management Objectives broadly covers proper identification, measurement, monitoring/control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Risk appetite parameters are normally expressed in terms of risk limits. Bank's risk appetite is demonstrated through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Policy Committee (CPC) for the credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) for market risk and Operational Risk Management Committee for operational risk.

A full fledged Risk Management Dept. is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A General Manager is in charge of the department who is also the Chief Risk Officer responsible for the overall supervision on risk management in the bank. In addition, the

प्रबंधन कार्य करते हैं जो नीतियों के पालन / अनुपालन, जोखिम सीमा। फ्रेमवर्क और आन्तरिक अनुमोदनों के प्रबोधन के लिए जिम्मेदार हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 31.03.2008 से नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) कार्यान्वित कर दी है। बेसल II फ्रेमवर्क तीन परस्पर सुदृढ़ स्तम्भों पर आधारित है। परिशोधित फ्रेमवर्क का पहला स्तम्भ उधार, बाज़ार और परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता का समाधान करती है, दूसरा स्तम्भ (पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया) इस बात को सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास उनके बैंक जोखिम प्रोफाइल वाले व्यापार में सभी प्रकार के जोखिम को संभालने के लिए यथेष्ट पूंजी है। भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकतानुसार बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार की है। यह नीति उन सभी भौतिक जोखिमों का मूल्यांकन करती है जो बैंक को उठाना पड़ सकता है और सतत आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथेष्ट पूंजी संरचना सुनिश्चित करती है। नीति फ्रेमवर्क का हर वर्ष पुनरीक्षण किया जाता है।

बैंक ने भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक तनाव जांच नीति / फ्रेमवर्क तैयार किया है जिससे अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाओं के प्रति संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिति का पता लगाया जा सके। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण विशेषत: बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय में किसी पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिम की पहचान करने और तदनुसार इसका सामना करने के लिए उचित उपाय करने में सहायक होता है। नीतिगत उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और आल्को / आरएमसीबी को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बेसल II फ्रेमवर्क का तीसरा स्तम्भ बाजार पर नियंत्रण से संबंधित है। बाजार पर नियंत्रण का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखित न्यूनतम पूंजी आवश्यकता और स्तम्भ II के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ-1 से 10 (संलग्न) में प्रकटीकरण (गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाजार में सहभागिता हेतु महत्वपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें; (1)अनुप्रयोग की गुंजाइश (डीएफ -1), (2) पूंजी संरचना (डीएफ-2), (3) पूंजी पर्याप्तता (डीएफ-3), (4) उधार जोखिम सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-4), (5) उधार जोखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण बशर्ते कि मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-5), (6) उधार जोखिम कम करना: मानकीकृत दृष्टिकोण के प्रकटीकरण (डीएफ-6) (7) प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-7), (8) ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम (डीएफ-8) (9) परिचालन जोखिम (डीएफ-9) (10) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (डीएफ-10) आदि। यह बाजार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक आंकड़े प्रदान करेगा।

Mid-Office in Treasury (Domestic) and Treasury (Foreign) and Credit Support Services Dept. also carry out the risk management functions and monitor the adherence/compliance to policies, risk limit framework and internal approvals.

In line with the guidelines issued by the RBI, the bank has implemented a New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.3.2008. The Basel-II Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI's requirement, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis. The policy framework is subject to review every year.

The bank has formulated a "Stress Testing policy / framework" in line with the RBI guidelines to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and places the reports to ALCO / RMCB.

The third pillar of Basel-II framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 10 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (1) scope of application (DF-1), (2) Capital Structure (DF-2), (3) Capital Adequacy (DF-3), (4) Credit Risk: General Disclosures (DF-4), (5) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised Approach (DF-5), (6) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-6), (7) Securitisation: Disclosure for Standardised Approach (DF-7), (8) Market Risk in Trading Book (DF-8), (9) Operational Risk (DF-9), and (10) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-10) etc. This would also provide the market participants with the necessary data to evaluate the performance of the bank in various parameters.

तालिका डीएफ-1

लागू करने की गुंजाइश

गुणात्मक प्रकटीकरण		हमारे बैंक पर प्रयोज्यता
क.	*जिस समूह पर फ्रेमवर्क लागू होता है उस वर्ग के सर्वोच्च बैंक का नाम*	*बैंक किसी भी वर्ग का सदस्य नहीं है।*
ख.	*समूह के अन्दर इकाइयों के संक्षिप्त विवरण सहित, लेखाकरण और विनियामक उद्देश्यों के लिए समेकन के आधार में अन्तर की रूपरेखा (i) जो पूरी तरह समेकित हैं (ii) जो समानुपातिक रूप से समेकित हैं (iii) जिनमें कटौती की गई है (iv) जिन्हें न समेकित किया गया है न ही कटौती की गई है (उदा. जहाँ निवेश जोखिम भारित है) क्या यह हमारे बैंक पर लागू है ?*	*लागू नहीं।*
मात्रात्मक प्रकटीकरण		
ग.	*सभी अनुषंगी इकाइयों में पूंजी की कमी की कुल रकम समेकन में शामिल नहीं है यानी जिनकी कटौती की गई है और ऐसी अनुषंगी इकाइयों के नाम*	*लागू नहीं*
घ.	*बीमा इकाई में बैंक के कुल हित की औसत रकम (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित हैं और उनके नाम, उनके शामिल किए जाने का देश या निवास, स्वामित्व इन्टरेस्ट का अंश और यदि कोई भिन्न है तो इन इकाइयों में वोटिंग पॉवर का हिस्सा। इसके अतिरिक्त, इस प्रक्रिया के प्रयोग बनाम कटौती का प्रयोग करने का विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव दर्शाएं।*	*यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेन्स कं.लि. जैसे बीमा जेवी में ईक्विटी अभिदान के ज़रिए रु.28.50 करोड़, जो अपनी कुल जारी की गई पूंजी का 19% बताता है। इसे सीआरएआर परिकलन से निकाल दिया गया है।*

तालिका डीएफ-2

पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण		हमारे बैंक पर प्रयोज्यता
क.	*सभी पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं की शर्तों और निबंधनों पर सार सूचना, विशेषत: टायर 1 या उच्चतर टायर 2 में समावेशन के लिए पात्र पूंजी लिखतों के मामले में*	*बैंक पर लागू है चूंकि हम समय-समय पर पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाज़ार से टायर 1 और टायर 2 के द्वारा पूंजी उठाते हैं।*

TABLE DF –1

Scope of application

	Qualitative Disclosures	Applicability to our Bank
a)	The name of the top bank in the group to which the Framework applies	The Bank does not belong to any group.
b)	An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated (ii) that are pro-rata consolidated (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk – weighted).	Not Applicable
Quantitative Disclosures		
c)	The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
d)	The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Rs. 28.50 crores by way of equity subscription in an insurance JV ie. Universal Sompo General Insurance Co. Ltd., representing 19% of its total issued capital. The same is excluded from CRAR computation.

Table DF – 2

Capital structure

	Qualitative Disclosures	Applicability to our Bank
a)	Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2	Applicable to the Bank as we raise both Tier I and Tier II capital from the market to meet increase in capital requirements from time to time

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ख.	*निम्नलिखित के अलग से प्रकटीकरण सहित टायर 1 पूंजी की रकम:*	*रु.544.80 करोड़*
*	*प्रदत्त शेयर पूंजी*	*रु.5172.53 करोड़*
*	*आरक्षितियां*	*रु.480.00 करोड़*
*	*नवोन्मेषी लिखत (टायर 1 पूंजी बेमियादी ऋण के रूप में)*	*(वर्ष के दौरान उठाए गए शून्य)*
*	*अन्य पूंजी लिखतें*	*शून्य*
*	*टायर 1 पूंजी से काटी गई रकम, साख और निवेश को मिला कर*	*शून्य*
ग.	*टायर 2 पूंजी की कुल रकम (टायर 2 पूंजी से कटौतियों का निवल)*	*रु.4182.94 करोड़ (डिस्काउंट में) (वर्ष के दौरान उठाए गए - रु. 955.30 करोड़)*
घ.	*उच्चतर टायर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतें*	*रु.1155.30 करोड़*
ड.	*कुल बकाया रकम*	*रु.1155.30 करोड़*
*	*जिसमें से चालू वर्ष के दौरान उठाई गई रकम*	*रु.655.30 करोड़*
*	*पूंजी निधियों के रूप में मानी जाने के लिए पात्र रकम*	*रु.500 करोड़*
च.	*निम्नतर टायर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र गौण ऋण*	
*	*कुल बकाया रकम*	*रु.2074.40 करोड़*
*	*इसमें से चालू वर्ष के दौरान उठाई गई रकम*	*रु.300.00 करोड़*
*	*पूंजी निधियों के रूप में ली जाने वाली पात्र रकम*	*रु.2074.40 करोड़*
छ.	*पूंजी में से अन्य कटौतियाँ, यदि कोई हो*	*शून्य*
ज.	*कुल पात्र पूंजी*	*रु.10380.27 करोड़*

Quantitative Disclosures

b)	The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of:	Rs. 544.80 crore
*	paid up share capital	Rs. 5172.53 crore
*	reserves	Rs. 480.00 crore
*	innovative instruments (Perpetual Debt Instrument as Tier 1 capital)	(raised during the year – Nil)
*	other capital instruments	Nil
*	amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill and investments	Nil
c)	The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	Rs. 4182.94 crore (at discount) (raised during the year – Rs.955.30 crores)
d)	Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital	Rs. 1155.30 crores
e)	Total amount outstanding	Rs. 1155.30 crores
*	Of which amount raised during the current year	Rs. 655.30 crores
*	Amount eligible to be reckoned as capital funds	Rs. 500.00 crores
f)	Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
*	Total amount outstanding	Rs. 2074.40 crores
*	Of which amount raised during the current year	Rs. 300.00 crores
*	Amount eligible to be reckoned as capital funds	Rs. 2074.40 crores
g)	Other deductions from capital, if any	Nil
h)	Total eligible capital	Rs. 10380.27 crores

तालिका डीएफ-3

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा जारी किए गए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल I) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अप्रैल 1992 में भारत के बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता उपाय कार्यान्वित किए। ये उपाय बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत करने और साथ ही पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के मामले में अन्तरराष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यवहारों का अनुपालन करने के लिए किए गए हैं। आरंभ में यह फ्रेमवर्क उधार जोखिम के लिए पूंजी की समस्या दूर करने के लिए थी जिसमें बाद में बाजार जोखिम के लिए पूंजी को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने संगत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

बाद में बीसीबीएस ने 26 जून 2004 को पूंजी मानकों और पूंजी मापन के अन्तरराष्ट्रीय सम्परिवर्तन, एक परिशोधित फ्रेमवर्क (बेसल II दस्तावेज के रूप में जाना जाता है) जारी किया। जून 2006 में एक व्यापक रूपान्तर परिशोधित फ्रेमवर्क जारी किया गया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर और अन्तरराष्ट्रीय मानकों के साथ निरन्तरता तथा सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2007 को दिशानिर्देश जारी किए और बाद में नई पूंजी पर्याप्तता (बेसल II) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर संशोधन किए गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक 31-03-2009 से परिशोधित (बेसल II) फ्रेमवर्क में आ चुका है और बेसल II फ्रेमवर्क की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने उनके दिनांक 04-12-2008 के परिपत्र के जरिए निर्धारित सूचना फॉर्मेट के जरिए बेसल I फ्रेमवर्क को भी समानान्तर रूप में जारी रखा है।

बेसल II फ्रेमवर्क उधार जोखिम बाज़ार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। इस फ्रेमवर्क में बैंकों और पर्यवेक्षकों को अपने परिचालनों और वित्तीय बाजार के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण चुनने की अनुमति है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक पूंजी का परिकलनात्मक करने के लिए उधार जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) और परिकलनात्मक जोखिम के लिए मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) अपनाया है। बैंक ने बाजार जोखिम के लिए पूँजी का परिकलन करने के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए)अपनाया है। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप 31-03-2009 तक उधार, बाज़ार और परिकलनात्मक जोखिम के लिए बैंक ने पूंजी बनाए रखी है।

बैंक ने संबंधित डाटा के आधार पर केन्द्रीय कार्यालय में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बाज़ार जोखिम और परिकलनात्मक जोखिम के लिए पूंजी का हिसाब किया है। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करने के लिए बेंक ने

Table DF – 3

CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures:

a) Banks in India implemented capital adequacy measures in April 1992 based on the capital adequacy framework (Basel I) issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time. Such measure was taken in order to strengthen the capital base of banks and at the same time to make it compliant with the international best practices in the matter maintaining capital adequacy. Initially the Basel framework addressed the capital for credit risk, which was subsequently amended to include capital for market risk. In line with the guidelines issued by the RBI, the bank was compliant with the relevant guidelines.

Subsequently, the BCBS has released the "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A revised framework had issued final guidelines for implementation of the New Capital Adequacy Framework (popularly known as Basel-II document) on 26th June 2004. A comprehensive version of the revised framework was issued in June 2006. Based on these guidelines and to have consistency and be in harmony with international standards, the Reserve Bank of India had issued guidelines on 27th April 2007 and subsequent amendments on implementation of the New Capital Adequacy (Basel II) Framework from time to time.

In line with the RBI guidelines, the Bank has migrated to the revised (Basel II) framework from 31.3.2008 and continues to be compliant with the requirements of Basel II framework. In addition to this, the bank continues the parallel run of Basel I framework in terms of the guidelines issued by the RBI through the prescribed reporting format vide their circular dated 4th Dec. 2008.

Basel II Framework provides a range of options for determining the capital requirements for credit risk, market risk and operational risk. The framework allows banks and supervisors to select approaches that are most appropriate for their operations and financial markets. In accordance with RBI's requirements, the Bank has adopted Standardized Approach (SA) for Credit Risk and Basic Indicator Approach (BIA) for operational risk to compute capital. The Bank continues to adopt Standardized Duration Approach (SDA) for computing capital for market risk. As such the Bank is maintaining capital for Credit, Market and Operational Risk as on 31.03.2009, in line with the RBI guidelines in this regard.

क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय में धारित पोर्टफोलियो के अलावा हर शाखा से लिए गए उधारकर्तावार डाटा को लिया है। इसके लिए बैंक ने स्वनिर्मित सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो शाखाओं के अग्रिम पोर्टफोलियो के उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करता है और शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक रिपोर्ट का सृजन करता है। सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए पूंजी परिकलन के विभिन्न पक्षों के संबंध में समय-समय पर स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है।

सामान्यत: बैंक उधार जोखिमों को कम करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। बैंक ने पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन में उधार जोखिम घटाने का प्रयोग किया है। उधार जोखिम घटाना, जोखिम भारित आस्तियों, पात्र पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात के प्रति पूंजी (सीआरएआर) का हिसाब लगाने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देश का अनुसरण किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बेसल दस्तावेजों में निर्धारित 8% की तुलना में निरन्तर रूप से 9% के जोखिम भारित आस्ति अनुपात सीआरआर के प्रति न्यूनतम पूंजी रखने के लिए नियत किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक यह भी निर्धारित करता है कि 31.03.2009 तक उधार और बाज़ार जोखिमों के लिए बेसल फ्रेमवर्क के मुताबिक परिकलित न्यूनतम पूँजी अपेक्षा का 90% पर प्रूडेंशियल फ्लोर हो। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया फ्रेमवर्क अतिरिक्त रूप से 31 मार्च 2010 तक या पहले 6.0% का न्यूनतम टायर-I सीआरएआर बनाए रखने के लिए निर्धारण करता है। इन निर्धारणों पर 31.03.2009 तक बैंक का कुल सीआरएआर और टायर-I सीआरएआर क्रमश: 13.20% और 7.88% पर है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तर से काफी ऊपर है।

बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के समान परिशोधित फेमवर्क के स्तम्भ 2 आवश्यकताओं के प्रति उपाय के रूप में बैंक के संगत जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आन्तरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीति और फ्रेमवर्क तैयार किया है। नीति तैयार करते समय बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है। नीति-पुनरीक्षण के अधीन है।

भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने के लिए पूंजी की पर्याप्तता के बारे में बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से तीन वर्षों के लिए पूंजी की आवश्यकता का आकलन किया है। सीआरएआर में आधिक्य भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने के लिए बफर की तरह काम करेगा। इसके अलावा टायर I और टायर II पूंजी एकत्र करने के लिए बैंक के पास उपलब्ध हेडरूम, भावी क्रियाकलापों के प्रति आवश्यक सीआरएआर को पूरा करने के लिए पूंजी संरचना की सहायता करेगा। इस प्रकार बैंक के पूंजी जोखिम का यथेष्ट ध्यान रखा गया है।

The bank has computed capital for market risk and operational risk as per the prescribed guidelines at the Central Office, based on the relevant data. In computation of capital for credit risk under Standardized Approach, the bank has relied upon the borrower-wise data captured from each individual branch, besides portfolios held at Regional Offices and Central Office of the bank. For this purpose, the bank has developed in-house software, which enables computation of capital for credit risk of the advances portfolio of the branches and generation of requisite reports at the branches, Regional Offices and Central Office levels. Necessary training has been imparted to the field staff periodically on various aspects of capital computation to ensure accuracy and adequacy.

Banks generally use a number of techniques to mitigate the credit risks to which they are exposed. The Bank has also used the credit risk mitigation in computation of capital for credit risk in order to get capital relief. The Bank has followed the RBI guidelines in force, to arrive at the credit risk mitigation, risk weighted assets, eligible capital and Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR).

Reserve Bank of India has prescribed that Banks are required to maintain a minimum Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of 9% on an ongoing basis, as against 8 percent prescribed in Basel documents. RBI also prescribes prudential floor at 90% of minimum capital requirement computed as per Basel I framework for credit and market risks as on 31.3.2009. The framework issued by RBI additionally prescribes maintenance of a minimum Tier-I CRAR of 6.0% on or before March 31, 2010. Against these stipulations, as on 31.03.2009, the Bank's total CRAR and Tier I CRAR stands at 13.20% and 7.88% respectively, which are well above the minimum level prescribed by RBI.

The bank has put in place the policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the framework in consideration of the relevant risk factors of the bank as a measure towards Pillar 2 requirements of the revised framework, commensurate with the bank's overall risk profile. In framing the policy, the bank has taken into consideration the requirements prescribed by the RBI in its guidelines. The policy is subject to review.

As regards the adequacy of capital to support the future activities, the bank has drawn an assessment of capital requirement for three years with the approval of the Board. The surplus CRAR shall act as a buffer to support the future activities. Moreover, the headroom available for the bank for mobilizing Tier-1/Tier- 2 capital shall also additionally support capital structure to meet the future activities. Thereby, the capital risk of the bank is adequately addressed.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु.करोड़ में)

ख. उधार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता:मानकीकृत दृष्टिकोण	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो	*6176.91*
प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	*0.00*
कुल	**6176.91**
ग. बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता:मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
ब्याज दर जोखिम	*223.11*
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण मिलाकर)	*11.33*
ईक्विटी जोखिम	*216.88*
कुल	**451.32**
घ. परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता: मूल संकेतक दृष्टिकोण	
परिचालनगत जोखिम	*446.85*
ड. बैंक के लिए कुल पूंजी अनुपात	
कुल सीआरएआर	*13.20%*
कुल सीआरएआर (विवेकपूर्ण फ्लोर के अनुप्रयोग के अनुसार)	*13.20%*
टायर 1 सीआरएआर	*7.88%*

तालिका डीएफ-4

उधार जोखिम : सभी बैंकों के लिये सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम

उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में ह्रास सहित शामिल हानियों की संभावना उधार जोखिम है। बैंक के पोर्टफोलियो में उधार जोखिम अधिकांशत: बैंक के उधार क्रियाकलापों से उत्पन्न होता है, क्योंकि उधारकर्ता ऋणदाता के प्रति अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता। यह उधारकर्ता या प्रतिपक्षियों की उधार गुणवत्ता / साख में संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक प्रत्येक उधारकर्ता और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर प्रबोधन और उसके मापन से अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन / अनुमोदन प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक के लिए प्रस्ताव में निहित गुणों और अवगुणों का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है। उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार को मजबूत बनाने और इसके कवरेज को व्यापक बनाने और रु.5 लाख और ऊपर के उधार खातों को कवर करने की दृष्टि से वर्ष के दौरान भविष्य में शाखाओं के प्रयोग के लिए आंतरिक अतिरिक्त जोखिम के प्रति संवेदनशील रेटिंग मॉडल तैयार किया

Quantitative Disclosures

(Rs. In crores)

(b) Capital requirements for Credit Risk: Standardized Approach	
Portfolios subject to Standardized Approach	6176.91
Securitization Exposures	0.00
Total	**6176.91**
(c) Capital requirements for Market Risk: Standardized Duration Approach	
Interest Rate Risk	223.11
Foreign Exchange Risk (Including Gold)	11.33
Equity Risk	216.88
Total	**451.32**
(d) Capital requirements for Operational Risk: Basic Indicator Approach	
Operational Risk	446.85
(e) Total Capital Ratio for the Bank	
Total CRAR	13.20%
Total CRAR (subject to application of Prudential Floor)	13.20%
Tier 1 CRAR	7.88%

Table DF-4

CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES FOR ALL BANKS

Qualitative disclosures:

Credit Risk:

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties. In a Bank's portfolio, Credit Risk arises mostly from lending activities of the Bank if a borrower is unable to meet its financial obligations to the lender. It emanates from changes in the credit quality/ worthiness of the borrowers or counter parties.

Credit rating & Appraisal Process:

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio level. The bank has robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal/ approval processes. Credit rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision-enabling tool that helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal. In order to widen the scope and coverage further, the bank has developed

है।

रेटिंग मॉडल फैक्टर गुणात्मक और मात्रात्मक, प्रबंधन जोखिम, व्यापार जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम और सुविधा जोखिम से संबंधित आंतरिक रेटिंग कारक हैं। इसके अलावा ये रेटिंग उधारकर्ता की समग्र रेटिंग का आकलन करते समय किसी विशिष्ट लेन-देन के लिए ऋण वृद्धि पर भी विचार करती है। उद्योग जोखिम पर आंकड़े बाज़ार की परिस्थितियों के आधार पर निरन्तर अद्यतन किए जाते हैं। यह वर्ष 2009-10 में कार्यान्वित किया जाएगा।

एक धारणा के रूप में उधार रेटिंग बैंक के अन्दर अच्छी तरह अन्तर्निहित हो गया है। मजबूत उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार के उपाय के रूप में बैंक ने निर्धारित स्तरों पर उधार रेटिंग के वैधीकरण के लिए ऋण रेटिंग प्रक्रिया की तीन टायर प्रणाली कार्यान्वित की है ताकि उधारकर्ताओं के लिए उच्चतर दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए बिना किसी पक्षपात के रेटिंग करने की दृष्टि से उधार विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। बैंक के प्रधान कार्यालय के अधिकार के अन्दर आनेवाले प्रस्तावों के लिए रेटिंग का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है। बैंक उधार खातों पर ब्याज दरों का निर्णय करने के लिए उधार रेटिंग का प्रयोग करते हैं। उधार रेटिंग का लाभ यह है कि इससे जोखिम के आधार पर विभिन्न प्रस्तावों का प्रवर्गीकरण किया जा सकता है और अर्थपूर्ण तुलना की जा सकती है।

बैंक ऋणों की मंजूरी के लिए एक सुस्पष्ट परिभाषित बहु स्तरीय विवेकाधिकार संरचना का अनुसरण करता है। कट ऑफ बिन्दु से ऊपर नए / संवर्धित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अपवाद स्वरूप बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों / केन्द्रीय कार्यालय में सभी स्तरों पर अनुमोदन ग्रिड गठित किया गया है। कट ऑफ बिन्दु से ऊपर बैंक द्वारा आरंभ किए गए नए उत्पाद अपनाए जाने के लिए बोर्ड के समक्ष रखने के पहले, उनमें निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए आंतरिक परिचालनात्मक जोखिम प्रब्रंधन समिति / उधार नीति समिति (सीपीसी) द्वारा जांचे जाते हैं। ऐसे नए उत्पादों के लिए अनुसरण की जाने वाली पद्धति व प्रक्रिया का निर्धारण पद्धति व प्रक्रिया समिति (एसएपीसीओ) द्वारा किया जाता है।

उधार जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुसंरचित ऋण नीति और उधार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति में संगठन की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सकता है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है और फ्रेमवर्क के अंदर प्रबंधन किया जा सकता है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है। उधार जोखिम का प्रबोधन बैंक द्वारा बैंक वाइड आधार पर किया जाता है और बोर्ड / आरएमसीबी द्वारा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। सीपीसी बैंक

additional rating models in-house during the year with a view to cover borrower accounts of Rs.5 lakhs and above.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk Components such as Industry risk, Business Risk, Management Risk, Facility Risk, Financial Risk and such ratings consider transaction specific credit enhancement features while assessing the overall rating of a borrower. The data on industry risk is constantly updated based on market conditions. This will be implemented in the year 2009-10.

Credit rating as a concept has been well internalized within the Bank. As a measure of robust credit risk management practices, the bank has implemented a tiered system for validation of credit ratings at specified levels, which is independent of credit department, in order to draw unbiased rating for borrowers necessary for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under powers of Bank's Central Office, the validation of ratings are done at Risk Management Dept. The Bank uses credit rating for deciding interest rates on borrowal accounts. The advantage of credit rating is that it enables to rank different proposals based on risk and do meaningful comparisons.

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans. Approval Grid has been constituted at all levels covering Exceptionally Large branches / Regional Offices / Central Office for considering fresh/ enhancement proposals beyond a cutoff. The new products introduced by the bank are examined by the internal Operational Risk Management Committee (ORMC) / Credit Policy Committee (CPC) for assessing the risk perspective before being placed to Board for its adoption. The Systems and Procedures Committee (SAPCO) lays down the system and procedure to be followed for such new products.

Credit Risk Management Policies:

The bank has put in place a well-structured Loan Policy and Credit Risk Management Policy duly approved by the Board. The Policy document defines organization structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. Credit risk is monitored by the bank on a bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board/RMCB is ensured. The CPC takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms and Exposure Limits.

की जोखिम वहन क्षमता स्तर को हिसाब में लेता है और तदनुसार सुरक्षा, तरलता, विवेकपूर्ण मानदण्डों, एक्सपोज़र सीमाओं से संबंधित मामलों को संभालता है।

बैंक में उत्कृष्ट उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार स्थापित करने के लिए बैंक ने कड़े उपाय किए हैं। उधार जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण नीति के अतिरिक्त बैंक ने निवेश नीति, प्रतिपक्षी जोखिम प्रबंधन नीति और देशी जोखिम प्रबंधन नीति आदि तैयार की है जो बैंक में उधार जोखिम के प्रबोधन का आंतरिक भाग है। इसके अतिरिक्त बैंक में संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम घटाने की नीति भी कार्यान्वित की गई है जो बैंक द्वारा सामान्यत: स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्रधान और संपार्श्विक दोनों) के विवरण और बैंक के हित की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित करती है। ये प्रतिभूतियां उन उधार जोखिमों को कम करती हैं जो बैंक को वहन करना पड़ सकता है।

उधार निगरानी / ऋण पुनरीक्षण / ऋण लेखा परीक्षा

मूल्यांकन, प्राइसिंग, उधार अनुमोदन प्राधिकार, दस्तावेजीकरण, रिपोर्टिंग व प्रबोधन, ऋण सुविधाओं का पुनरीक्षण व नवीकरण, समस्यागत ऋणों का प्रबंधन, उधार निगरानी आदि जैसे उधार जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पक्षों के संबंध में बैंक ने प्रक्रियाएं और नियंत्रण रखे हैं। उधार प्रबोधन विभाग ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की निगरानी करता है, समस्याओं की पहचान करता है और कमियों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाता है।

अनर्जक खातों का वर्गीकरण

बैंक निम्नानुसार अनर्जक आस्तियों के वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन करता है :

i. सावधि ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय मूलधन की किस्तें और / या ब्याज

ii. ओवरड्राफ़्ट / नकद उधार / (ओडी / सीसी) के संबंध में कोई खाता अनियमित (out of order) बना रहता है (यानी यदि बकाया शेष मंजूरित सीमा / आहरण अधिकार से अधिक बना रहता है या जिन मामलों में मूल परिचालन खाते में बकाया शेष मंजूरित सीमा / आहरण अधिकार से कम हो किन्तु तुलन-पत्र की तारीख तक 90 दिनों के लिए लगातार कोई जमा न हो या जमाएं उसी अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को कवर करने के लिए काफी न हों।)

iii. खरीदे और भुनाए गए बिलों के मामले में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे बिल

iv. अल्पावधि फसलों के लिए दो फसल मौसम के लिए अतिदेय ब्याज या मूलधन की किस्त

v. दीर्घावधि फसलों के लिए एक फसल मौसम के लिए अतिदेय ब्याज या मूलधन की किस्त

vi. बैंक किसी खाते को अनर्जक तभी मानता है यदि किसी तिमाही के दौरान प्रभारित ब्याज तिमाही के अन्त से 90 दिनों के अन्दर अदा न किया गया हो।

The Bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Loan Policy, Credit Risk Management Policy, the bank has also framed Investment Policy, Counter party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc., which forms integral part of monitoring of credit risk in the bank. Besides the bank has implemented a policy on Collateral Management and Credit Risk Mitigation, which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the bank. These securities act as mitigation against credit risk to which the bank is exposed.

Credit Monitoring / Loan Review / Credit Audit

The Bank has processes and controls in place in regard to various aspects of Credit Risk Management such as appraisal, pricing, credit approval authority, documentation, reporting and monitoring, review and renewal of credit facilities, managing of problem loans, credit monitoring etc. The Credit Monitoring Dept, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies.

Classification of Non-Performing Accounts:

The bank follows the prudential guidelines issued by the RBI on classification of non-performing assets as under:

i. Interest and/ or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,

ii. the account remains 'out of order' (i.e. if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power or in cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period) in respect of an Overdraft/Cash credit (OD/CC)

iii. the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

iv. the instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,

v. the instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops,

vi. Bank classifies an account as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

उधार खातों की पुनर्संरचना

पुनर्संरचित खातों के वर्गीकरण के संबंध में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुसरण किया है और प्रावधान किया है।

रु.करोड़ों में

	मात्रात्मक प्रकटीकरण	हमारे बैंक पर प्रयोज्यता	
क.	*कुल सकल उधार जोखिम एक्सपोज़र, निधि आधारित और गैर निधि आधारित पृथक-पृथक*	*निधि*	*75809.54*
ख.	*प्रकटीकरण का भौगोलिक वितरण, निधि आधारित और गैर निधि आधारित पृथक-पृथक*	*गैर निधि*	*38355.86*
		निधि	*गैर निधि*
	• *देशी*		
	• *विदेशी*		
		68479.43	*333778.93*
		7330.11	*4576.93*
ग.	*एक्पोज़र के औद्योगिक प्रकार का वितरण, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित पृथक-पृथक*	*अनुबंध*	
घ.	*आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता*		
ङ.	*ब्रेकडाउन*	*अनुबंध*	
	एनपीए (सकल) की राशि		
	• *अवमानक*	*889.64*	
	• *संदिग्ध (डी1, डी2, डी3)*	*974.21*	
	• *हानि*	*59.56*	
च.	*निवल एनपीए*	*999.14*	
छ.	*एनपीए अनुपात*		
	• *सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए*	*2.54%*	
	• *निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए*	*1.33%*	
ज.	*एनपीए का प्रचलन (सकल)*		
	• *प्रारंभिक शेष*	*996.95*	
	• *जोड़*	*2261.85*	
	• *घटाव*	*1335.39*	
	• *अन्तिम शेष*	*1923.41*	
झ.	*एनपीए के लिए प्रावधानों का प्रचलन*		
	• *प्रारंभिक शेष*	*569.94*	
	• *अवधि के दौरान किए गए प्रावधान*	*365.50*	
	• *बट्टे खाते में डाला गया*	*183.40*	
	• *अधिशेष प्रावधानों का प्रतिलेखन*	-	
	• *अन्तिम शेष*	*752.04*	
ञ.	*अनर्जक निवेशों की राशि*	*16.83*	
त.	*अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि*	*5.67*	
थ.	*निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधानों का प्रचलन*		
	• *प्रारंभिक शेष*	*314.41*	
	• *अवधि के दौरान किए गए प्रावधान*	*253.23*	
	• *बट्टे खाते में डाला गया*	*0.00*	
	• *आंतरिक प्रावधानों का प्रतिलेखन*	*224.82*	
	• *अन्तिम शेष*	*342.82*	

Restructuring of Borrower Accounts:

The bank has followed the RBI guidelines in respect of classification of re-structured accounts and provided.

Rs. in Crores

Quantitative Disclosures	Applicability to our Bank	
a) Total gross credit risk exposures, Fund based and Non fund based separately	FB NFB	75809.54 38355.86
b) Geographic distribution of exposures, Fund based and Non fund based separately	FB	NFB
• Domestic	68479.43	33778.93
• Overseas	7330.11	4576.93
c) Industry type distribution of exposures, fund based and non fund based separately.	Annexed	
d) Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed	
e) Amount of NPAs (Gross)		
• Substandard	889.64	
• Doubtful (D1,D2,D3)	974.21	
• Loss	59.56	
f) Net NPAs	999.14	
g) NPA Ratios		
• Gross NPAs to gross advances	2.54 %	
• Net NPAs to net advances	1.33 %	
h) Movement of NPAs (Gross)		
• Opening balance	996.95	
• Additions	2261.85	
• Reductions	1335.39	
• Closing balance	1923.41	
j. Movement of provisions for NPAs		
• Opening balance	569.94	
• Provisions made during the period	365.50	
• Write off	183.40	
• Write back of excess provisions	-	
• Closing balance	752.04	
k. Amount of Non-Performing Investments	16.83	
l. Amount of provisions held for non-performing investments	5.67	
m. Movement of provisions for depreciation on investments		
• Opening Balance	314.41	
• Provisions made during the period	253.23	
• Write-off	0.00	
• Write-back of excess provisions	224.82	
• Closing Balance	342.82	

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन

(रु. करोड़ों में)

दिन 1	2-7 दि	8-14 दि	15-28 दि	29दि -3 म	3-6 म	6म-1 वर्ष	>1 से 3 वर्षों	> 3 से 5 वर्षों	> 5 वर्षों
3539.81	8847.93	4498.63	1151.38	10418.01	8585.18	11180.75	43186.75	7582.66	66156.42

देशी परिचालनों के लिए सकल आस्तियों का कवरेज

उद्योगवार ऋण प्रकटीकरण

(रु.करोड़ों में)

उद्योग का नाम	बकाया
कोयला	*52.69*
खान	*246.00*
लौह और इस्पात	*3828.00*
अन्य धातु व धातु उत्पाद	*805.00*
सभी इन्जीनियरिंग	*1766.00*
उसमें से इलेक्ट्रानिक्स	*49.88*
इलेक्ट्रिीसिटी	*1514.98*
सूती वस्त्र उद्योग	*2724.00*
जूट वस्त्र उद्योग	*54.00*
अन्य वस्त्र उद्योग	*874.00*
चीनी	*288.00*
चाय	*62.00*
खाद्य प्रसंस्करण	*502.00*
वनस्पति तेल और वनस्पति	*191.00*
तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	*209.00*
कागज और कागज उत्पाद	*885.00*
रबर और रबर उत्पाद	*355.00*
रसायन, डाइ, पेन्टस आदि	*1735.00*
उनमें से उर्वरक	*56.61*
उनमें से पेट्रो रसायन	*281.34*
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	*65.86*
सीमेंट	*475.00*
चमड़ा और चमड़ा उद्योग	*171.00*
बहुमूल्य रत्न व आभूषण	*385.00*
निर्माण	*723.00*
पेट्रोलियम	*436.00*
ऑटोमोबाइल जिसमें ट्रक भी शामिल है	*1059.91*
कम्प्यूटर सॉफ़्टवेयर	*167.00*
इन्फ्रास्ट्रक्चर	*8940.00*
उनमें से शक्ति	*913.92*
उनमें से तार संचार	*525.11*
उनमें से रोड और पोत	*302.28*
अन्य उद्योग	*4837.01*
एनबीएफसीएस और व्यापार	*2461.43*
शेष सकल अग्रिमों के प्रति अवशिष्ट अग्रिमों	*40062.52*
कुल	**75809.54**

Residual contractual Maturity break down of Assets

(Rs. In crores)

Day 1	2-7 D	8-14 D	15-28D	29D-3M	3-6M	6M-1 Year	>1 to 3 Years	>3 to 5 years	>5 years
3539.81	8847.93	4498.63	1151.38	10418.01	8585.18	11180.75	43186.66	7582.89	66156.42

Covers Gross Assets for domestic operations

INDUSTRY WISE EXPOSURES

(Rs. In Crore)

Industry Name	Outstanding
Coal	52.69
Mining	246.00
Iron and Steel	3828.00
Other Metal and Metal Products	805.00
All Engineering	1766.00
Of which Electronics	49.88
Electricity	1514.98
Cotton Textiles	2724.00
Jute Textiles	54.00
Other Textiles	874.00
Sugar	288.00
Tea	62.00
Food Processing	502.00
Vegetable Oils and Vanaspati	191.00
Tobacco and Tobacco Products	209.00
Paper and Paper Products	885.00
Rubber and Rubber Products	355.00
Chemicals, Dyes, Paints, etc.	1735.00
Of which Fertilisers	56.61
Of which Petro-Chemicals	281.34
Of which Drugs and Pharmaceuticals	65.86
Cement	475.00
Leather and Leather Products	171.00
Gems and Jewellery	385.00
Construction	723.00
Petroleum	436.00
Automobiles including trucks	1059.91
Computer Software	167.00
Infrastructure	8940.00
Of which Power	913.92
Of which Telecommunications	525.11
Of which Roads & Ports	302.28
Other Industries	4837.01
NBFCs & Trading	2461.43
Residual Advances to Balance Gross Advances	40062.52
TOTAL	**75809.54**

तालिका डी एफ-5

उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

सामान्य सिद्धान्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने से उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन के लिए नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (एनसीएएफ) के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपना लिया है। पूँजी के परिकलन में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ति प्रवर्गों में आबंटित कर दिया है।

बाहरी उधार रेटिंग

नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देखते हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों (ईसीआरए) द्वारा उधारकर्ताओं की रेटिंग का महत्व बढ़ गया है। बाहरी रेटिंग के आधार पर कार्पोरेट / पीसीई / प्राइमरी डीलरों पर एक्सपोज़र को जोखिम भार आबंटित किया गया है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को चार देशी ईसीआरए जैसे क) क्रिसिल लि. ख) आइसीआरए लि. ग) सीएआरई तथा घ) आइसीआरए लि. की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी है। उपर्युक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने इन सभी बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों द्वारा आबंटित रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय किया है।

बाहरी रेटिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने और ग्राहकों को अपने एक्सपोज़र के लिए सरलता से बाहरी रेटिंग प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से बैंक ने इन चारों उधार रेटिंग एजेन्सियों के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापन करने के लिए कार्रवाई की है। इस करार से बाहरी उधार-अलग रेटिंग एजेन्सियों द्वारा बैंक के ग्राहकों की रेटिंग के लिए रियायती शुल्क प्रदान किया जाता है। बहरहाल समझौता ज्ञापन में ऐसा कोई विशेषीकरण उपबंध नहीं है। उधारकर्ता अपने विचार से इन चारों एजेन्सियों में से किसी एक या अधिक से अपने एक्सपोज़र की रेटिंग के लिए कह सकते हैं। बैंक किसी भी बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी द्वारा आबंटित रेटिंग को स्वीकार करेगा और इसका प्रयोग करेगा। पिछले 15 महीनों के दौरान दी गई नई या पुनरीक्षित रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जाता है। जहां कहीं किसी उधारकर्ता को बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी से एक या अधिक रेटिंग मिली है, वहां पूंजी के अभिकलन के लिए जोखिम भार के आबंटन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना है।

किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है और तदनुसार प्रस्तावों की स्वीकार्यता और एक्सपोज़र का स्तर तथा कीमत निर्धारण के संबंध में उधार निर्णय लेने के लिए भी प्रणाली है। बहरहाल, पूँजी परिकलन के मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत जोखिम

Table DF-5

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures:

General principle:

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Standardised Approach of the New Capital Adequacy Framework (NCAF) for computation of capital for credit risk. In computation of capital, the bank has assigned risk weight to different asset classes as prescribed by RBI.

External Credit Ratings:

Ratings of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRA) assumes importance in the light of the guidelines for implementation of the New Capital Adequacy Framework (Basel-II). Exposures on Corporates / PSEs / Primary Dealers are assigned with risk weights based on the external ratings. For this purpose, the RBI has permitted banks to use the ratings of the four domestic ECRAs namely (a) CRISIL Ltd, (b) ICRA Ltd, (c) CARE and (d) ICRA Ltd. In consideration of the above guidelines, the bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs.

In order to facilitate the process of external rating and enabling the customers to solicit external ratings for their exposure smoothly, the bank has taken initiatives by entering into separate MOU with all these four Credit Rating Agencies. The agreement provides for extending concessional fees by the ECRAs for rating bank's customers. The MOUs do not have any exclusivity clause to deal with. Borrowers, at their option, can approach any one or more of the above ECRAs for rating their exposure. The Bank has only used the solicited ratings assigned by any of these ECRAs. External ratings assigned fresh or reviewed during the previous 15 months are reckoned for capital computation by the bank. Wherever a borrower possesses more than one rating from ECRAs the guidelines prescribed by the RBI are followed as regards to assignment of risk weight for computation of capital.

The Bank has a well-structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower and accordingly the systems are in place for taking credit decision as regards to acceptability of proposals and level of exposures and pricing. However, such rating cannot be used for application of risk weight under Standardized Approach of capital computation.

भार के अनुप्रयोग के लिए ऐसी रेटिंग को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तदनुसार बैंक ने, 31-03-2009 तक उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करते समय, बैंक की अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों द्वारा आबंटित उधारकर्ता की ऋण एक्सपोज़र रेटिंग को कार्पोरेट और पीएसई खण्ड के तहत लिया है।

कार्पोरेट / पीएसई के विशेष निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी की किसी निर्गम विशेष के लिए रेटिंग को हिसाब में लिया जाता है और तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई रेटिंग स्केल की समवर्ती वित्तीय स्थिति के बाद जोखिम भार का अनुप्रयोग किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेशी एक्सपोज़र के पूंजी परिकलन के उद्देश्य से फिच, मूडीस और एस&पी अन्तरराष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों, जो भी उपलब्ध हो, द्वारा आबंटित रेटिंग का प्रयोग किया गया है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूंजी के परिकलन के अनुरूप बाहरी रेटिंग द्वारा भारत में एक्सपोज़र के कवरेज के संबंध में प्रक्रिया को उधारकर्ताओं के बीच प्रचलित किया जाना है ताकि अपने ग्राहकों की बेहतर रेटिंग के लिए उपलब्ध पूंजी राहत लाभ उठाया जा सके। इसमें कुछ समय लग सकता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ों में)

वर्गीकरण	कम करने के पश्चात एक्सपोजर (इएएम)	बाहरी रेटिंग के अधीन आवरित इएएम	रेटिंग नहीं की गई
अग्रिम / निवेश			
100% जोखिम भार से कम	*502289.18*	*9959.46*	*40329.72*
100% जोखिम भार	*45369.68*	*1314.04*	*44055.64*
100% जोखिम भार से अधिक	*7854.82*	*697.90*	*7156.92*
घटाएँ	*0.00*	*0.00*	*0.00*
कुल	**103513.68**	**11971.40**	**91542.28**
अन्य आस्तियाँ			
100% जोखिम भार से कम	*13349.06*	*0.00*	*13349.06*
100% जोखिम भार	*3278.83*	*0.00*	*3278.83*
100% जोखिम भार से अधिक	*0.00*	*0.00*	*0.00*
घटाएँ	*0.00*	*0.00*	*0.00*
कुल	**16627.89**	**0.00**	**16627.89**

Accordingly the bank has taken into consideration the borrower's loan exposure credit ratings assigned by the approved ECRAs, while computing the capital for credit risk as on 31.3.2009 under Corporate and PSE segments.

In case of bank's investment in particular issues of corporates / PSEs the issue specific rating of the approved ECRAs are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.

For the purpose of capital computation of overseas exposures, ratings assigned by the international rating agencies namely Fitch, Moody's and S&P is used, wherever available, as per the RBI guidelines.

As regards the coverage of exposures in India by external ratings as relevant for capital computation under Standardized Approach, the process needs to be popularized among the borrowers so as to take the benefit of capital relief available for better-rated customers. This could take some time.

Quantitative Disclosures

(Rs. in crores)

Classification	Exposure after Mitigation (EAM)	EAM covered under External Rating	Unrated
ADVANCES/ INVESTMENT			
Below 100% risk weight	50289.18	9959.46	40329.72
At 100% risk weight	45369.68	1314.04	44055.64
Above 100% risk weight	7854.82	697.90	7156.92
Deducted	0.00	0.00	0.00
Total	**103513.68**	**11971.40**	**91542.28**
OTHER ASSETS			
Below 100% risk weight	13349.06	0.00	13349.06
At 100% risk weight	3278.83	0.00	3278.83
Above 100% risk weight	0.00	0.00	0.00
Deducted	0.00	0.00	0.00
Total	**16627.89**	**0.00**	**16627.89**

तालिका डीएफ - 6

उधार जोखिम घटाना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए दृष्टिकोण

गुणात्मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम को कम करने पर नीति

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन तथा उधार जोखिम को कम करने के तकनीक पर बहुत ही स्पष्ट नीति बैंक द्वारा बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। नीति में बैंक द्वारा ऋण देते समय सामान्यत: स्वीकार की गई प्रतिभूतियों के प्रकार तथा इसके साथ जुड़े हुए जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है ताकि बैंक के हित की सुरक्षा / रक्षा हो तथा ऐसी प्रतिभूतियों का प्रशासन / प्रबोधन भी हो ।

बैंक द्वारा स्वीकार की गई प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक दोनों) के प्रमुख प्रकार में स्वर्ण / आभूषण, राष्ट्रीय बचत प्रमाण-प्रत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, 10 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा प्रमाण-पत्र, शेयर व डिबेंचर, केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, म्यूच्युअल फंड यूनिटें, अचल संपत्तियाँ, संयंत्र व मशीनरी, माल तथा वाणिज्य वस्तुएँ, माल के हक-विलेख, बहीगत ऋण, वाहन तथा अन्य चल संपत्तियाँ शामिल हैं जिसमें बैंक की अपनी जमाएँ भी हैं । बैंक ने अचल संपत्तियों और संयंत्र तथा मशीनरियों के मूल्यांकन पर सुस्पष्ट नीति बनाई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है ।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करना

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचितानुसार बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जो उधार जोखिमों के प्रति प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमति देता है जिससे प्रतिभूतियों पर आरोपित मूल्य द्वारा जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से घटाया जा सकता है। अत: पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों का उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में उधार जाखिम को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करते समय बैंक ने विशिष्ट प्रतिभूतियों को मान्यता दी है जैसे क) बैंक जमाएँ ख) स्वर्ण / आभूषण ग) जीवन बीमा पॉलिसी घ) किसान विकास पत्र (2 1/2 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद) जो भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं ।

इसके अलावा उधार जोखिम को कम करने के अन्य अनुमोदित रूप "ऑन बैलेंस शीट नेटिंग" और "पात्र गारंटियों" की उपलब्धता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक उधारकर्ता के ऋणों / अग्रिमों के प्रति (जोखिम के विस्तार तक) ऑन बैलेंस शीट नेटिंग को उपलब्ध जमाराशियों के मुताबिक गिना जाएगा । आगे उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार इस प्रकार हैं :- क) केंद्र सरकार की गारंटी (0%) ख) राज्य सरकार (20%) ग) सीजीटीएसआइ (0%) घ) इसीजीसी

Table DF – 6

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures:

Policy on Credit Risk Mitigation:

In line with the regulatory requirements, the Bank has put in place a well-articulated Policy on Collateral Management and Credit Risk Mitigation Techniques duly approved by the bank's Board. The policy lays down the type of securities normally accepted by the Bank for lending and administration/monitoring of such securities in order to safeguard/protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

The main types of securities (both prime and collateral) accepted by the bank include Bank's own deposits Gold/ornaments, Indira Vikas Patras, Kisan Vikas Patras, 10 year social security certificates, shares and debentures, central and state Govt. securities, Life Insurance Policies, Mutual Fund Units, Immovable Properties, Plant and Machinery, Goods and Merchandise, Documents of title to goods, Book debts, Vehicles and other movable assets. The bank has also framed a well-defined policy on valuation of immovable properties and Plant and Machineries, duly approved by the Board.

Credit Risk mitigation under Standardised Approach

As advised by RBI, the bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital. In doing so, in line with RBI guidelines, the Bank has recognized specific securities viz. (a) bank deposits (b) gold/ornaments (c) life insurance Policies (d) Kisan Vikas Patras (after a lock in period of 2 ½ years)

Besides, other approved forms of credit risk mitigation are "On balance sheet netting" and availability of "Eligible Guarantees". On Balance Sheet nettings has been reckoned to the extent of deposits available against loans/advances of the borrower (to the extent of exposure) as per RBI guidelines. Further, in computation of credit risk capital the types of guarantees recognized for taking mitigation, in line with RBI guidelines

(20%) ङ) साख-पत्र के अधीन खरीदे / बट्टे खाते में डाले गए बिलों के रूप में बैंक गारंटी (दिशानिर्देशों के अनुसार दोनों देशी व विदेशी बैंक)। बैंक ने उधार जोखिम को कम करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक निश्चितता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

उधार जोखिम को कम करने में संकेंद्रीकरण जोखिम

उधार जोखिम को कम करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ आसानी से उगाही लायक वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं । वर्तमान में बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त उधार जोखिम कम करने के माध्यमों में जोखिम संकेंद्रीकरण के निवारण के लिए कोई सीमा / उच्चतम सीमा नहीं है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ों में)

काट-छाँट के बाद उपलब्ध कुल पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति।	**10246.14**

तालिका डीएफ 7

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) निम्नलिखित चर्चा को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा

31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए कोई प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया है।

- *प्रतिभूतिकरण कार्य के संबंध में बैंक का उद्देश्य, इन कार्यों से पूर्वताप्राप्त प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के उधार जोखिमों को बैंक से अन्य इकाइयों को अंतरित कर देता है।*
- *प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक की भूमिका और प्रत्येक कार्य में बैंक के लिप्त होने के बारे में सूचना और*
- *अपने प्रतिभूतिकरण के कार्य के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई विनियामक पूँजी दृष्टिकोण*

ख) निम्नलिखित को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण कार्यों के लिए बैंक द्वारा अपनायी गई लेखांकन नीतियों का सार

are (a) Central Government (0%), (b) State Government (20%), (c) CGTSI (0%) (d) ECGC (20%) (e) Banks in the form of Bills purchased / discounted under Letters of Credit (both domestic & foreign banks as per guidelines). The Bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

Concentration Risk in Credit Risk Mitigation:

All types of securities eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such presently no limit/ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

Quantitative Disclosures

(Rs. In Crore)

Total Eligible Financial Collateral after application of haircuts	**10246.14**

Table DF 7

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation, including a discussion of:

No securitisation for the year ended 31.03.2009

- The bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities.
- The roles played by the bank in securitisation process and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them, and
- The regulatory capital approach that the bank follows for its securitisation activities.

b) Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including :

- *बिक्री पर लाभ की पहचान और*
- *रखी गई हितों के मूल्यांकन के लिए प्रमुख अवधारणाएँ, जिसमें अंतिम रिपोर्टिंग अवधि के बाद प्रमुख परिवर्तन कोई हो तथा उसके प्रभाव को उसे शामिल करते हुए*

ग) प्रतिभूतिकरण के लिए उपयोग की गई इसीएआइ के नाम और प्रतिभूतिकरण जोखिमों के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक ऐजेंसी का प्रयोग किया गया है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

घ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत कुल बकाया जोखिम और जोखिम के प्रकार के जरिए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन जो लाया गया हो — *शून्य*

ङ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर और प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन लाया गया जोखिम

- *अनर्जक / पुराने देय आस्तियों की प्रतिभूतिकृत रकम और*
- *चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा पहचानी गई हानि जिसे एक्सपोजर के प्रकार द्वारा काट दी गई हो*

च) रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की औसत रकम जिसे जोखिम के प्रकार द्वारा काट दी गई हो

छ) रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की औसत रकम जिसे जोखिम भारित बैंड की अर्थपूर्ण संख्या में काट दिया गया हो । टायर-। पूँजी से पूरी तरह से घटा दिए गए एक्सपोजर, कुल पूँजी से घटा दिए गए उधार बढ़ाने वाले आइ/ ओ और कुल पूँजी से घटाए गए अन्य जोखिमों को अलग से पूर्वताप्राप्त एक्सपोजर के प्रकार द्वारा अलग से प्रकट करना चाहिए ।

ज) तुलन-पत्र के खातों पर टिप्पणियों के एक भाग के रूप में दो वर्षों के लिए

- Recognition of gain on sale, and
- Key assumption for valuing retained interests, including any significant changes since the last reporting period and the impact of such changes.

c) Names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.

Quantitative Disclosures

d) the total outstanding exposures securitised by the bank and subject to securitisation framework by exposure type. — Nil

e) For exposures securitised by the Bank and subject to thesecuritisation framework.

- Amount of impaired/past due assets securitised; and
- Losses recognised by the Bank during the current period broken down by exposure type

f) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type

g) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down into a meaningful number of risk weight bands. Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital should be disclosed separately by type of underlying exposure type.

h) Summary of securitisation activity presenting a

तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करने वाले प्रतिभूतिकरण का सार

- *प्रतिभूतिकृत ऋण आस्तियों की कुल संख्या और बही मूल्य - पूर्वताप्राप्त आस्तियों के प्रकार द्वारा*
- *प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त ब्रिकी रकम और प्रतिभूतिकरण के कारण हुई हानि / लाभ : और*
- *उधार संवर्धन, तरलता समर्थन, प्रतिभूतिकरण पश्चात आस्ति सेवाएँ आदि के द्वारा दी गई सेवाओं का रूप तथा प्रमात्रा (बकाया मूल्य)*

comparative position for two years, as a part of the Notes on Accounts to the balance sheet

- Total number and book value of loan assets securitised – by type of underlying assets
- Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation; and
- Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of credit enhancement, liquidity support, post securitisation asset servicing, etc

तालिका डीएफ - 8
ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम
गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, ईक्विटी कीमतें तथा पण्य कीमतें जैसे बाजार वेरियबिल्स द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गति के कारण ऑन-बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाजार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एएफएस तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा ईक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित डिरेवेटिब्स से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और ईक्विटी पूँजी से उत्पन्न बाजार जोखिम को कम करना है ।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाजार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किया जा सके। बाजार जोखिम प्रबंधन को संभालने वाली अन्य नीतियाँ यथा निधि प्रबंधन, रुपया ब्याज पर डिरिवेटिव नीति और फॉरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति हैं। निवेश नीति, फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति और डिरैवेटिव नीति हैं । बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए सुस्पष्ट संगठनात्मक रूपरेखा निर्धारित करती है जिससे बैंक द्वारा उठाए गए बाजार जोखिम एएलएम फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक की जोखिम छूट के अनुरूप

Table DF – 8

MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative Disclosures:

(a) Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in on-balance sheet positions caused by changes/movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market risk.

Policies for management of Market Risk:

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of market risk in the bank. Other policies, which also deal with market risk management, are Funds Management and Investment Policy, Rupee Interest Rate Derivative Policy and Forex Risk Management Policy. The Market Risk Management Policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby

पहचाने, मापे, प्रबोधित तथा नियंत्रित किए जाते हैं। इस नीति में विभिन्न जोखिम सीमाएँ गठित हैं जिससे बाजार जोखिम का प्रभावी प्रबंधन होता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उचित आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम से प्राप्य लाभ बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। नीति में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबोधन के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी संभाला गया है।

एएलएम नीति में विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क का उल्लेख है। नीति द्वारा उल्लिखितानुसार तरलता जोखिम का प्रबंधन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार डॉटा कवरेज की उत्तम उपलब्धता के आधार पर दैनिक रूप से आस्ति और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता/प्रवृत्तिजन्य पद्धति को आधार बनाकर जीएपी विशलेषण के जरिए किया जाता है । बैंक ने अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि योजना के उपाय बनाये हैं। प्रभावकारी आस्ति देयता प्रबंधन के लिए विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता को संभालने के लिए विवेकपूर्ण (छूट) सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। बैंक की तरलता प्रोफाइल को विभिन्न तरलता अनुपातों के जरिए मूल्यांकित किए जाते हैं। बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपायों को गठित किया है ताकि तरलता स्थिति में किसी प्रकार के तनाव को संभाला जा सके। बैंक देशी ट्रेशरी द्वारा निधि के व्यवस्थित तथा स्थिर नियोजन के जरिए रियल टाइम आधार पर पर्याप्त तरलता का प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम को संवेदनशील आस्तियों और देयताओं को जीएपी विशलेषण के प्रयोग से प्रबंधित और निर्धारित विवेकपूर्ण (छूट) सीमाओं के जरिए प्रबोधित किया जाता है। शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम बनाने की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए बैंक, जोखिम पर अर्जन तथा ड्यूरेशन गैप आशोधन को समय-समय पर निर्धारित करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ऑलको) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करता है और एएलएम नीति में स्पष्ट किए अनुसार बाजार की स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। ट्रेज़री विभाग में कार्यरत मध्य कार्यालय समूह भी विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल ।। फ्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अनुसार बाजार जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी परिकलित की है। 31.03.2009 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ इस प्रकार हैं :

the market risks carried by the Bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policy sets various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policy also deals with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, Liquidity risk is managed through the GAP Analysis, based on the residual maturity/ behavioral pattern of assets and liabilities on a daily basis based on best available data coverage as prescribed by RBI. The bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limit are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The bank estimates Earnings at Risk and Modified Duration Gap periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) /Board monitors adherence of prudential limits fixed by the bank and determines the strategy in the light of the market condition (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office group at the Treasury also monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis.

Quantitative Disclosures:

(b) In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.3.2009 in trading book of the bank is as under:

(रु.करोड़ों में)

बाजार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारित आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	2479.00	223.11
ईक्विटी स्थिति जोखिम	2409.72	216.88
विदेशी विनिमय जोखिम	125.89	11.33
कुल	**5014.61**	**451.32**

तालिका डीएफ - 9

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालनात्मक जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रकियाओं, लोगों तथा प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में विधिक जोखिम शामिल हैं मगर रणनीति या प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम शामिल नहीं है।

परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन पर नीतियाँ

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं इस प्रकार हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (ग) अपने ग्राहक को जानें पर नीतिगत दस्तावेज (केवाइसी) और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों (घ) अविराम आइटी कारोबार तथा विपदा पुन:प्राप्ति योजना (आइटी बीसी-डीआरपी) ङ) अनुपालन नीति और च) वित्तीय सेवाओं के बाह्य स्त्रोत पर नीति।

बैंक द्वारा अपनाई गई परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना तथा विस्तृत प्रकियाओं की रूपरेखा बताता है। नीति का मूल उद्देश्य बैंक के दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में भूमिकाओं के स्पष्ट नियतन के जरिए परिचालनात्मक जोखिम को प्रभावी ढंग से पहचानने, निर्धारित करने, प्रबोधित करने तथा नियंत्रित/ कम करने और भौतिक परिचालनात्मक हानियों सहित परिचालनात्मक ऋण जोखिमों की समय पर रिपोर्टिंग के द्वारा परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक में परिचालनात्मक जोखिमों को व्यापक तथा सुदृढ़ व सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क के द्वारा संभाला जाता है।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियां व प्रक्रियाएं बना रखी हैं। बैंक ने कम्प्यूटरीकृत परिचालनों को संभालने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं और निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ईडीपी लेखा परीक्षा स्थापित है। उचित दस्तावेजों के निष्पादन के लिए दस्तावेजीकरण मैन्युअल हैं। कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों की

(Rs. In crores)

Type of Market Risk	Risk Weighted Asset (Notional)	Capital requirement
Interest Rate Risk	2479.00	223.11
Equity Position Risk	2409.72	216.88
Foreign Exchange Risk	125.89	11.33
TOTAL	**5014.61**	**451.32**

Table DF – 9

OPERATIONAL RISK

Qualitative Disclosure:

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

Policies on management of operational risk:

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems Security Policy (b) Forex Risk Management Policy (c) Policy document on Know Your Customers (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) Procedures (d) IT Business Continuity and Disaster Recovery Plan (IT BC-DRP) (e) Compliance Policy and (f) Policy on Outsourcing of Financial Services

The Operational risk management policy adopted by the Bank outlines organization structure and detail processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying assessing, monitoring and controlling/ mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures, including material operational losses. Operational risks in the bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control frameworks.

The Bank has got embodied, in its Book of Instructions, well-defined systems and procedures for various operations. The bank has issued detailed guidelines for handling computerised operations and a system of EDP audit is in place to ensure adherence to the laid down systems and procedures. Well-articulated Manual on Documentation is in place for execution of proper

भूमिका के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश हैं। आवधिक कार्यावर्तन के लिए स्पष्ट प्रणाली है। उधार, फारेक्स और अन्य कार्यक्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए अत्यधिक प्रभावी प्रशिक्षण प्रणाली है। सभी कर्मचारियों के लिए आचार नियम व सेवा विनियम हैं।

निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियां हैं और कमियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति रखी है। बैंकों में अनुपालन कार्यों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय में स्वतंत्र कारोबार समूह से अलग "अनुपालन विभाग" स्थापित किया है। हर शाखा / विभाग / कार्यालय में अनुपालन के स्तर की निगरानी के लिए अनुपालन अधिकारी पदनामित किए गए हैं। अनुपालन स्तर के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया व प्रणालियां तैयार की गई हैं। अनुपालन कार्यों के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली भी तैयार की गई है। बैंक में अनुपालन कार्य और अनुपालन संस्कृति मजबूत हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारा बैंक आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसके अनुसार बैंक परिचालन जोखिम के लिए पूंजी धारित करता है। दिशानिर्देशों के अनुसार, परिचालन जोखिम के लिए पूंजी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देशों के अनुरूप हमारे बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी के परिकलन हेतु बेसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण को अपनाया है। दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के समान है। इस प्रकार के प्राक्कलन के अनुसार दिनांक 31.03.2009 तक परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता रु.446.85 करोड़ है।

तालिका डीएफ - 10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहाँ बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित करता है। परिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है।

documents. The Bank has clear-cut guidelines as to the role functions of various levels of employees. A system of periodic job rotation has been clearly articulated. A highly effective training system with provision for giving specialised training in credit and forex and other functional areas is in place. Conduct rules and service regulations for all the employees are also in place.

Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

The Bank has put in place Compliance Policy duly approved by the Board. In terms of the RBI guidelines on Compliance functions in banks, the bank has established separate "Compliance Department" in Central Office independent of business group. Compliance Officers are designated in each branch / department / office to monitor the level of compliance. The methodologies and systems have been devised and put in place for assessment of level of compliance. Reporting systems on compliance functions have been devised and also put in place. The compliance functions and compliance culture is being strengthened in the bank. In line with the final guidelines issued by RBI, our Bank is adopting the Basic Indicator Approach, as per which the Bank holds capital for operational risk. As per the guidelines, the capital for operational risk is equal to the average over the previous three years of 15% of positive annual Gross Income as defined by RBI

Qualitative disclosures

(b) In line with final guidelines issued by RBI, our Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital for Operational Risk. As per the guidelines, the capital for Operational Risk is equal to the average over the previous three years of 15% of positive annual Gross Income as defined by RBI. As per such estimate, the capital requirement for Operational Risk as on 31.03.2009 is Rs. 446.85 crores.

Table DF –10

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures:

(a) Interest rate risk in the Banking Book:

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a bank's financial condition. Changes in interest rates affect both the current earnings (earnings perspective)

इसी प्रकार परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को ईक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है।

बैंकिंग बुक में अल्पावधि (अर्जन परिप्रेक्ष्य) तथा दीर्घावधि (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) परिप्रेक्ष्य से ऑन बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट जोखिमों पर परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ जुड़े जोखिमों को बैंक पहचानता है। आय पर प्रभाव (अर्जन परिप्रेक्ष्य)को बैंक की एएलएम नीति में निर्धारितानुसार 100 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात (शॉक) को लागू करके जीएपी विशलेषण के प्रयोग से मापा जाता है। ऐसे प्रभावों के लिए बैंक के एनआइआइ के प्रतिशत के अनुसार विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और उसका प्रबोधन पाक्षिक आधार पर आवधिक रूप में किया जाता है। अर्जन पर प्रभाव के परिकलन के लिए, दर संवेदनशील विवरण से पारंपरिक जीएपी को लिया जाता है और विशेष समयावधि के बीच के पाइंट से बची हुई अवधि के आधार पर 100 बीपीएस तक ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित किया जाता है। इसी को ऑलको तथा बोर्ड को आवधिक तौर पर दर संवेदनशील विवरण सहित यानी प्रत्येक रिर्पोटिंग शुक्रवार को रिपोर्ट किया जाता है। सीमाएँ पिछले वर्ष के एनआइआइ के आधार पर नियत की जाती है।

बैंक ने ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (प्रतिशतता के रूप में) के निर्धारण के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विशलेषण को अंतराल जीएपी विशलेषण के साथ मिलाकर अपनाया है। इस प्रयोजन के लिए बैंक की एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी (डीजीएपी) के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को मासिक आधार पर आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है। बैंक आशोधित अंतराल जीएपी और ईक्विटी पर आर्थिक मूल्य के प्रभाव का परिकलन करता है। आस्तियाँ, निवेशों और देयताओं को छोड़कर दर संवेदनशील विवरण के अनुसार समूहबद्ध हैं और इन आस्ति व देयता समूहों के लिए सामान्य परिपक्वता, कूपन व यील्ड मानदण्डों का प्रयोग करके समयवार (बकेट) आशोधित अंतराल का परिकलन किया जाता है। निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रत्येक मद के आशोधित अंतराल को परिकलित करके लिया जाता है। बैंक में डीजीएपी को महीने में एक बार परिकलित किया जाता है और ऑलको को रिपोर्ट किया जाता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ऑलको) / बोर्ड बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन को प्रबोधित करता है और बाजार स्थिति (चालू तथा प्रत्याशित) की दृष्टि में रणनीति निर्धारित करता है।

as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly the risk from economic value perspective can be measured as drop in the Economic Value of Equity.

The bank identifies the risks associated with the changing interest rates on its on-balance sheet and off-balance sheet exposures in the banking book from a short term (Earnings perspective) and long term (Economic Value Perspective). The impact on income (Earnings perspective) is measured through use of GAP analysis by applying notional rate shock upto 100 bps as prescribed in the bank's ALM policy. Prudential limits have been prescribed for such impacts as a percentage of NII of the bank and the same is monitored periodically. For the calculation of impacts on earnings the Traditional Gap is taken from the Rate Sensitivity statement and based on the remaining period from the mid point of a particular bucket the impact for change in interest rates upto 100 bps is arrived at. The same is reported to ALCO and Board periodically along with rate sensitivity statement. The limits are fixed based on the previous year's NII.

The bank has adopted Traditional Gap Analysis combined with Duration Gap Analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) by applying a notional interest rate shock of 200 bps. For this purpose, a limit of (+/-)1.00% for Modified Duration Gap (DGAP) on the balance sheet is prescribed in bank's ALM policy and the position is monitored periodically. The Bank calculates Modified Duration Gap and the impact on the Economic Value of Equity. Assets excluding investments and liabilities are grouped as per Rate Sensitivity statement and bucket-wise Modified Duration is computed for these groups of Assets and Liabilities using common maturity, coupon and yield parameters. For investment portfolio the Modified Duration of individual items are computed and taken. The DGAP is calculated by the Bank once a month and is reported to ALCO.

The Asset-Liability Management Committee/ Board monitors adherence to the prudential limits fixed by the bank and determines the strategy in the light of market conditions (current and expected).

गुणात्मक प्रकटीकरण

ख) निवल ब्याज आय (एन आइ आइ) और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2009 तक गणना करके उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है :

(रु. करोड़ों में)

ब्याज दर में परिवर्तन	*इएआर के लिए एएलएम नीति सीमा*	*जोखिम पर अर्जन (इएआर) 27/03/2009*	
		1 वर्ष तक	*5 वर्ष तक*
0.25% परिवर्तन	*128.42 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 5%)*	*2.36*	*1.67*
0.50% परिवर्तन	*256.83 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 10%)*	*4.73*	*3.35*
0.75% परिवर्तन	*385.25 पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 15%)*	*7.09*	*5.02*
1.00% परिवर्तन	*385.25 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 15%)*	*9.45*	*6.70*

ईक्विटी का आर्थिक मूल्य	**27.03.2009**
आशोधित अवधि जीएपी (डीजीएपी)	*0.7521%*
एएलएम नीति के अनुसार सीमा	*(+/-)1%*
ईक्विटी की आशोधित-अवधि (एमडीई)	*7.32%*
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए ईक्विटी में घटाव	*14.64%*

Quantitative Disclosures

(b) The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2009 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under

(Rs in crores)

Change in Interest Rate	ALM Policy Limit for EaR	Earning at Risk (EaR) 27/03/2009	
		Up to 1 Year	Up to 5 years
0.25% change	128.42 (5% of NII of previous year)	2.36	1.67
0.50% change	256.83 (10% of NII of previous year)	4.73	3.35
0.75% change	385.25 (15% of NII of previous year)	7.09	5.02
1.00% change	385.25 (15% of NII of previous year)	9.45	6.70

ECONOMIC VALUE OF EQUITY	**27/3/2009**
MODIFIED DURATION GAP (DGAP)	0.7521%
LIMIT AS PER ALM POLICY	(+ / -) 1%
MODIFIED DURATION OF EQUITY (MDE)	7.32%
FOR A 200 BPS RATE SHOCK THE DROP IN EQUITY VALUE	14.64%